

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस', नीमच (म.प्र.) 458441</p> |  | <p>Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441</p> |
| EPABX: (07423) 223030 | | E-mail: dnc-neemuch@cbn.nic.in |

फा.सं. I(22)16/Adm./Vehicle Auction/2021-

4385 to 4392

दिनांक: 22.09.2021

नीलामी की सूचना

विषय: - निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में निष्प्रयोजित पड़े 6 "चार पहिया" वाहनों के निस्तारण हेतु "जो जंहा है वही" के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार है:-

| S.No. | Registration No. | Make & Model | Stationed at |
|-------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1. | MP14-G-7686 | Maruti Gypsy, 1997 | DNC(O), Neemuch |
| 2. | MP44-K-0540 | Tata Sumo, 1997 | DNC(O), Neemuch |
| 3. | MP-44-D-0142 | Maruti Gypsy, 2002 | DNC(O), Neemuch |
| 4. | MP-14-0435 | Omimi Bus Swaraj Mazda, 1989 | DNC(O), Neemuch |
| 5. | MP-14-G-7191 | Tata 407, 1996 | DNC(O), Neemuch |
| 6. | MP-14-K-0526 | Mahindra Jeep, 1997 | DOO, Mandsaur-II |

- उक्त सभी वाहनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग, नीमच / मन्दसौर द्वारा कर वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि नीलामी सूचना के नियम व शर्तों के बिन्दु क्रमांक XVI में प्रत्येक वाहन हेतु अलग-अलग दर्शाया गया है।
- उक्त सभी वाहनों हेतु अलग अलग सीलबंद किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रत्येक वाहन के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहन/वाहनों को खरीदने में रुचि रखता है, को उच्चतम दर के अनुसार कोटेशन सील बंद लिफाफे में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में दिनांक 13.10.2021 को 15.00 बजे से पहले जमा करना होगा।
- उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशन के लिफाफे पर साफ शब्दों में लिखा होना आवश्यक है कि "QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model". प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 13.10.2021 को 16.00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- वाहन प्रभारी एवं अधीक्षक (प्रशा.), कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच की उपस्थिति में उक्त पांचों वाहन क्रमांक 1 से 5 तक दिनांक 27.09.2021 से 12.10.2021 तक सुबह 11.00 बजे से 15.00 बजे तक निरीक्षण के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के परिसर में उपलब्ध रहेंगे। वाहन क्रमांक 6, जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर द्वितीय खण्ड, मंदसौर के कार्यालय परिसर में दिनांक 27.09.2021 से 12.10.2021 तक सुबह 11.00 बजे से 15.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

4/15

वाहनों की नीलामी की कार्यवाही हेतु नियम व शर्तें

- i. वाहनों की नीलामी “जो जंहा है वही” के आधार पर एक-एक वाहन के रूप में की जाएगी, न कि सभी वाहनों की एक ग्रुप के रूप में। अतः प्रत्येक बोलीदाता को प्रत्येक वाहन हेतु अलग अलग सीलबंद किए गये कोटेशन जमा कराने होंगे।
- ii. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को प्रत्येक वाहन के लिए रु. 3000/- (तीन हजार रु. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में “D.D.O. CBN, Neemuch” के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संबंधित वाहन के कोटेशन के साथ ही जमा करानी होगी।
- iii. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 13.10.2021 को 11.00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बालीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर “D.D.O. CBN, Neemuch” के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि जमा करने की आवश्यकता होगी।
- vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पुनः शुरू की जाएगी।
- vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म हाने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।
- viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
- ix. नीलामी में तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- x. वाहन की बिक्री के पश्चात् वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तांतरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्चे भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएंगे। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में जमा कराना होगा।
- xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नहीं ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहनों की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक “क” के रूप में संलग्न है।

XVI. प्रत्येक वाहन की बोली हेतु इस विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होगा:-

| S.No. | Registration No. | Make & Model | Reserve price (आरक्षित मूल्य) |
|-------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | MP14-G-7686 | Maruti Gypsy, 1997 | Rs. 12,000/- |
| 2. | MP44-K-0540 | Tata Sumo, 1997 | Rs. 25,000/- |
| 3. | MP-44-D-0142 | Maruti Gypsy, 2002 | Rs. 15,850/- |
| 4. | MP-14-0435 | Omimi Bus Swaraj Mazda, 1989 | Rs. 35,600/- |
| 5. | MP-14-G-7191 | Tata 407, 1996 | Rs. 67,500/- |
| 6. | MP-14-K-0526 | Mahindra Jeep, 1997 | Rs. 30,000/- |

22/09/2021
(एस. सी. रजवानियाँ)
क/प्र सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) - 474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुखगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)- 474006 को विभागीय साईट पर प्रसारित करने के आशय से प्रेषित।
3. श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सज्जन बाग रिसोर्ट के पास, मऊ रोड़, नीमच 458441 तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, 70, नेशनल हाईवे 79, मंदसौर 458001 को इस आशय से प्रेषित है, की नीलामी की सूचना के प्रकाशन हेतु आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।
4. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग(विधुत एवं यांत्रिकी), उपसंभाग नीमच(म.प्र.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग(विधुत एवं यांत्रिकी), उपसंभाग, 32, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, मुख्य सड़क, मंदसौर को इस आशय से प्रेषित है, की नीलामी की सूचना के प्रकाशन हेतु आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।
5. वाहन प्रभारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच

22/09/2021
(एस. सी. रजवानियाँ)
क/प्र सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,

नीलामी हेतु निष्प्रयोजित वाहनों की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रारूप

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Full Name of the Bidder | |
| Address | |
| Contact No. | |
| Amount of Earnest Money | Rs. (In Figures) |
| | Rs. (In Words) |
| Particulars of Demand Draft | No.:- |
| | Date:- |
| | Bank:- |
| | Branch:- |

- ❖ बोलीदाता का पूर्ण पता साथ ही उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे (प्रमाणित वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पेन कार्ड)।
- ❖ दिए गये पते पर बोलीदाता को पत्र-व्यवहार हेतु सदैव उपलब्ध होना होगा।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा निष्प्रयोजित घोषित वाहनों की नीलामी के लिए मैं/हम मेरी/हमारी अपनी उच्चतम दर निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

| S.No. | Registration No. | Make & Model | Reserve price (आरक्षित मूल्य) | Amount Offered (बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली उच्चतम दर) |
|-------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | Rs. (In Figures) |
| | | | | Rs. (In Words) |

इस नीलामी सूचना के अंतर्गत उल्लेखित सभी नियमों व शर्तों (विशेष रूप से सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) से संबंधित शर्तें) को ध्यानपूर्वक एवं गहनता से पढ़ लिया है एवं मैं इनका पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा इन नियमों/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को शर्तों के तहत पूर्ण रूप से जब्त होने देने के लिए सहमत हूँ। मैं वचन देता हूँ की इस नीलामी में सफल बोली के तहत प्राप्त वाहन का उपयोग मेरे द्वारा सिर्फ वैद्य कार्य के लिए किया जाएगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :